न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA 127 of 2022 (GCMS 545 of 2022)

भींयाराम पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल
निवासी भैसेर कोटवाली,
तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. उषा पत्नी हनुमान प्रसाद जाति जटिया
   निवसी तिंवरी, तहसील तिंवरी,
   जिला जोधपुर
2. चम्पालाल पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल
   निवासी गोपासरिया, तहसील तिंवरी
   जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार तिंवरी
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जुलाई 2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां राजस्व वाद संख्या 116/2016 भींयाराम बनाम उषा इत्यादि

उपस्थित-
श्री सुगन मल परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 18 जनवरी 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 116/2016 भींयाराम बनाम उषा एवं अन्य में पारित अपीलाधीन निर्णय

18.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं डिकी दिनांक 25 जुलाई 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट भींयाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम गोपासरिया तहसील तिंवरी स्थित आराजी खसरा संख्या 150 रकबा 1.7401 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में वादी-अपीलाण्ट का 1/14 हिस्सा तथा बकाया 13/14 हिस्सा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो को होना जाहिर करते हुए तदनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 25 जुलाई 2022 को स्वीकार किया गया। जिसके खिलाफ वादी-अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन रहने के दौरान अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी का निस्तारण किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी मूल वाद का निस्तारण कर दिया गया, जो निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 150 में 1/14 हिस्सा भूमि पडौस अंकित करते हुए जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख अपीलाण्ट ने तुलछाराम पुत्र भींयाराम जाति भाम्बी से कय कर कब्जा प्राप्त किया है। इसी प्रकार प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक ने खसरा संख्या 150 में से 3/7 हिस्सा भूमि पडौस अंकित करते हुए जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख चम्पाराम पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल (रेस्पो. संख्या दो) से कय कर कब्जा प्राप्त किया। वर्तमान मामले में वादपत्र में वर्णित अभिकथनों के परिप्रेक्ष्य में मूल खातेदार द्वारा वादग्रस्त भूमि

18.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का पडौस दर्शाते हुए किये गये हस्तान्तरण एवं केतागण द्वारा उक्त भूमि बाबत आगे वादी-अपीलाण्ट एवं प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में किये गये हस्तान्तरण को ध्यान में रखते हुए विधिवत वाद-बिन्दु कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन करते हुए मूल वाद का निस्तारण किया जाना चाहिये था, मगर विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि आलौच्य वाद में संयोजित पक्षकारान के अलावा वादग्रस्त आराजी का अन्य कोई सहखातेदार नहीं है तथा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या दो ने वादकथनों का कोइ खण्डन नहीं किया है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया और मूल वाद में राजस्व अभिलेखानुसार संयोजित पक्षकारान के अलावा वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारान होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक तथा राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3 ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 23 मई 2022 में अधिवक्ता-प्रतिवादी द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के दर्ज हक-हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने की सहमति प्रकट किये जाने तथा अधिवक्ता-वादी द्वारा मूल वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शें अनुसार दक्षिणी-पूर्वी हिस्से पर वादी का कब्जा जाहिर करते हुए तदनुसार अनुतोष चाहे जाने के तथ्य अंकित किये और प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार तिंवरी से बंटवारा प्रस्ताव तलब किये गये। जिस पर दिनांक 11 मई 2022 को वादी-अपीलाण्ट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी (विचारण

19.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय की पत्रावली में पेज 26 पर उपलब्ध) पेश कर जाहिर किया गया है कि वादी द्वारा वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया है, जिसे प्रतिवादी संख्या एक व दो द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में इस बिन्दु बाबत तनकी कायम किया जाना आवश्यक था, मगर न्यायालय द्वारा सीधी डिकी जारी कर दी गयी, जो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुरूप नहीं है। अतः आवश्यक तनकी कायम की जावे। उक्त प्रार्थनापत्र पेश होने व नकल प्रतिपक्ष को दिलवाई जाने संबंधित विवरण विचारण न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 11 मई 2022 में अंकित करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 08 जून 2022 मुकर्रर की गयी। दिनांक 08 जून 2022 को पीठासीन अधिकारी की मुख्यालय पर अनुपलब्धता/व्यस्तता के कारण पेशी मुन्तकिल की जाकर आइन्दा तारीख पेशी दिनांक 25 जुलाई 2022 रखी गयी जिस पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये। जाहिर है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये जाने के पूर्व विचारण न्यायालय को मामले में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण करना चाहिये था। मगर विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया जाना विधिसम्मतः एवं न्यायोचित नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वादी-अपीलाण्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के संलग्न नजरी नक्शा एवं अपने पक्ष में खसरा संख्या 150 के भू-भाग विशेष के पडौस अंकित करते हुए निष्पादित बेचाननामा के अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहता है जबकि प्रतिवादी-पक्ष उक्त खसरा बाबत वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक-हिस्से अनुसार विभाजन करने पर सहमत है। ऐसी स्थिति में वादी-अपीलाण्ट द्वारा वांछित अनुतोष बाबत विधिवत तनकी कायम की जाकर पक्षकारान से साक्ष्य ली जाकर बाद सुनवाई समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष सहित मूल वाद का निस्तारण किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है।

18.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 25 जुलाई 2022 अपास्त किये जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी-अपीलाण्ट द्वारा वांछित अनुतोष बाबत विधिवत तनकी कायम की जाकर पक्षकारान से साक्ष्य-सुनवाई के बाद समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष सहित मूल वाद का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दि. 18.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर